



बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०

(मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग)

निबंधित कार्यालय:-विद्युत भवन, बेली रोड, पटना

Contact No:7763817975, 7763818077, email-hr.admin@bsptcl.bihar.gov.in, website-www.bsptcl.in
CIN-U74110 BR 2012 SGC 018889

कार्यालय आदेश सं० - 92 /
T-IV/Store/DP/4501/2024

पटना, दिनांक 21/02/2025/

विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण अंचलीय भंडार, बोधगया के पत्रांक-81 दिनांक-27.05.2024 द्वारा श्री अभिजीत मोहंती, वरीय भंडारपाल, संचरण अंचलीय भंडार, दरभंगा (प्रतिनियुक्त संचरण अंचलीय भंडार, गया/बोधगया, सेवानिवृति तिथि-31.10.2024) के सेवानिवृत्त होने की स्थिति को देखते हुए संचरण अंचलीय भंडार बोधगया में रखे 1421 प्रकार के भंडार सामग्रियों का प्रभार किसी अन्य भंडारकर्मी को हस्तांतरित किये जाने हेतु प्राप्त अनुरोध के आलोक में कम्पनी मुख्यालय के कार्यालय आदेश संख्या-413 दिनांक-01.08.2024 द्वारा श्री अशोक को अपने कार्यों के अतिरिक्त संचरण अंचलीय भंडार, गया (बोधगया) का प्रभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया। विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, गया के पत्रांक-668 दिनांक-30.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि आरोपी द्वारा कार्यालय आदेश संख्या-413 दिनांक-01.08.2024 का अनुपालन दिनांक-30.08.2024 तक नहीं किया गया।

श्री अशोक का उक्त आचरण मुख्यालय के आदेश के उल्लंघन, अनुशासनहीनता एवं सरकारी कर्मचारी आचार नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के तहत कदाचार का द्योतक होने के कारण आरोपी के विरुद्ध अधिरोपित उक्त आरोप के आलोक में कम्पनी मुख्यालय के का० आ० सं०-480 दिनांक-10.09.2024 द्वारा श्री अशोक को निलम्बित करते हुए निलम्बन अवधि का मुख्यालय, संचरण जोन, पटना निर्धारित किया गया एवं कम्पनी मुख्यालय के का० आ० सं०-487 दिनांक-13.09.2024 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री सुनील कुमार झा, सेवानिवृत्त उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर को जाँच पदाधिकारी एवं श्री धीरेन्द्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, कम्पनी मुख्यालय, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया। जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-01 दिनांक-07.01.2025 द्वारा उक्त कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके विरुद्ध अधिरोपित आरोप को यद्यपि प्रमाणित नहीं पाया गया, परन्तु प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि नियमानुसार श्री अशोक को कार्यालय आदेश संख्या-413 दिनांक-01.08.2024 के अनुपालन में सर्वप्रथम योगदान करना था, तत्पश्चात अपने कठिनाई से शीर्ष कम्पनी को अवगत कराना चाहिये था।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में जाँच पदाधिकारी के उक्त जाँच प्रतिवेदन से आंशिक रूप से असहमत होते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा मामले पर सम्यक निर्णय के उद्देश्य से कम्पनी के पत्रांक-276 दिनांक-27.01.2025 द्वारा श्री अशोक से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। उक्त द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब श्री अशोक द्वारा दिनांक-31.01.2025 को उपलब्ध कराया गया है; जिसमें आरोपी द्वारा प्रासंगिक पत्र (इस कार्यालय का पत्रांक-276 दिनांक-27.01.2025 एवं जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-01 दिनांक-07.01.2025) की कंडिका 2 के आलोक में निलंबन/विभागीय कार्रवाई से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के अंतिम निर्णय के प्रत्याशा में उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के अंतिम निर्णय पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले श्री अशोक, तदेन वरीय भंडारपाल संचरण अंचलीय भंडार, बिहारशरीफ सम्प्रति निलंबित को कम्पनी मुख्यालय के का० आ० सं०-61, दिनांक-04.02.2025 द्वारा तत्क्षण प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

श्री अशोक द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब पर सम्यक समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निम्नांकित दण्ड प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. "निन्दन" की शास्ति।
2. निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन यापन भत्ता देय होगा, परन्तु इसकी गणना अन्य प्रयोजनों के लिए की जाएगी।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री अशोक, तदेन वरीय भंडारपाल, संचरण अंचलीय भंडार, बिहारशरीफ सम्प्रति संचरण जोन, पटना को निम्नांकित दण्ड प्रदान किया जाता है:-

1. "निन्दन" की शास्ति।
2. निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन यापन भत्ता देय होगा, परन्तु इसकी गणना अन्य प्रयोजनों के लिए की जाएगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री अशोक, तदेन वरीय भंडारपाल, संचरण अंचलीय भंडार, बिहारशरीफ सम्प्रति संचरण जोन, पटना हस्तगत करा दी जाय।

आदेश से,

ह0/-

(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक - _____ / पटना, दिनांक-_____ /

प्रतिलिपि-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी /महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव

ज्ञापांक - _____ / पटना, दिनांक-_____ /

प्रतिलिपि-महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना/विद्युत अधीक्षण अभियंता/ वरीय प्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल, बिहारशरीफ/श्री अशोक (E06285), तदेन वरीय भंडारपाल, संचरण अंचल, बिहारशरीफ सम्प्रति निलंबित संचरण जोन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव

ज्ञापांक - 514 / पटना, दिनांक-21/02/2025 /

प्रतिलिपि-सभी महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/ महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी (मा0सं0/प्रशा0)/सभी उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/उप सचिव/ डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर/प्रशासी पदाधिकारी (ERP)/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/लेखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना से अनुरोध है कि उक्त आदेश की प्रति कम्पनी के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अवर सचिव